गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

जी.बी.यू.–015/सी.डब्लू/002/2026–592 दिनांक– 27/01/2026

::नोटिस::

विषयः छात्रावास में अपने कमरे में किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति/डे–स्कॉलर/विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्र को न रखने के सम्बन्ध।

समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि छात्रावास परिसर में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से छात्रावासों के कमरे में किसी भी प्रकार के अतिथि/अन्य बाहरी व्यक्ति/डे–स्कॉलर/विश्वविद्यालय (छात्रावास, स्कूल एवं परीक्षा इत्यादि) से निष्कासित छात्र को ठहराने/रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

नियमों का पालन न करने की स्थिति में निम्नलिखित निर्देश लागू होंगेः

1. किसी भी छात्र द्वारा अपने कमरे में अन्य बहारी छात्र/डे–स्कॉलर/विश्वविद्यालय (छात्रावास, स्कूल एवं परीक्षा इत्यादि) से निष्कासित छात्र एवं बाहरी व्यक्तियों को ठहराना पूर्णतः वर्जित है।
2. यदि किसी छात्र को इस प्रकार की गतिविधि करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, छात्रावास से निलंबन या शैक्षणिक अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्मिलित हो सकती है।
3. अतिथि/बाहरी व्यक्तियों के मिलने के लिए केवल निर्धारित समय और निर्धारित स्थान (छात्रावास कार्यालय/अतिथि कक्ष) का ही प्रयोग किया जाये।

सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने छात्रावास कर्मचारियों के साथ सहयोग रखें तथा छात्रावास नियमों का पालन करें।

यह निर्णय सभी को सुरक्षा और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित् करने हेतु लिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अतः सभी छात्र नियमों का कड़ाई से पालन करें।

27/1/26

(डा0 प्रदीप तोमर)
मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष)

प्रतिलिपिः

निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. माननीय कुलपति महोदय, के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव को।
3. प्रभारी छात्र कल्याण को।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. प्रभारी, विश्वविद्यालय सुरक्षा अधिकारी को।
5. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों को नोटिस बोर्ड पर चश्पा कराये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पुरुष)